02/2015–16 दायर किया गया है। इस अपील वाद को निम्न न्यायालय द्वारा यह कहकर अस्वीकृत किया गया कि "आपसी सहमति के आधार पर बँटवारा में सभी हिस्सेदारों की सहमति आवश्यक है। अंचल अधिकारी के आदेश से यह स्पष्ट है कि विषयगत बँटवारानामा में सिर्फ बेटों का हस्ताक्षर है तथा बेटियों का हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

तत्पश्चात उक्त आदेश के विरूद्ध में यह रिविजन वाद दायर किया गया है। इस वाद पर सभी हिस्सेदारों की उपस्थिति है एवं बेटियों द्वारा भी शपथ पत्र के साथ अनापत्ति दाखिल किया गया है। वस्तुतः यह मामला जमाबन्दी जमींन की नामान्तरण से संबंधित है। सं०प० काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत जमाबन्दी जमींन के नामान्तरण के प्रावधानों के संबंध में उल्लेख नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। सं०प० काश्तकारी अधिनियम के धारा 19 में लगान विभाजन के संबंध में उल्लेख है। इस धारा के अन्तर्गत जमींन का बँटवारा एवं लगान विभाजन कर जमाबन्दी रैयतों का नाम रजिस्टर–II में दर्ज किया जा सकता है। अपर समाहर्ता, दुमका के पत्रांक 1483/रा0, दिनांक 23.12.13 द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, जन शिकायत कोषांग, दुमका को प्रेषित प्रतिवेदन में लक्ष्मी देवी बनाम शंकर झा ए0आई0आर0 1974 पार्ट 87 में प्रकाशित आदेश को उल्लेख करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि "संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के धारा 20 जमाबंदी रैयतों द्वारा उनकी जमाबंदी की जमीन बिक्री/हस्तान्तरण पर रोक लगाती है परन्तु जमाबंदी रैयत के परिवार के सदस्य के बीच आपसी सहमति के आधार पर बँटवारा/एकरारनामा के आधार पर निष्पादित डीड पर रोक नहीं लगाती है। उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि नामान्तरण अथवा दाखिल/खारीज राजस्व वसूली को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जिसमें स्वत्व (Title) प्रभावित नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त संबंध में सी0एन0टी0 अथवा एस0पी0टी0 एक्ट में विभागीय निदेश की आवश्कता महसूस की गई है। नामान्तरण एक अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया (Quasi Judicial Process) है, जिसमें उन्हें निदेश की आवश्यकता नहीं होती है।"

इस प्रकार उपरोक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि आपसी सहमति के आधार पर किया गया बँटवारा/एकरारनामा के आधार पर नामान्तरण किया जा सकता है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के धारा 19 में भी उल्लेखित है। अतः आवेदक के आवेदन को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, रामगढ़ को आदेश दिया जाता है कि नामान्तरण की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाय।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त
दुमका।

Rahul
उपायुक्त
दुमका।

61 [illegible] 3/5/17
L.CR Return

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 रिविजन वाद सं0– 13/2016–17

कुमार सत्यजीत.....आवेदक

बनाम

नवगोपाल मंडल एवं अन्य ..... विपक्षी

।। आदेश ।।

04/04/2017 यह रे0मि0 रिविजन वाद सं0 13/16–17 राज प्रकाश बनाम् नवगोपाल मंडल एवं अन्य, मौजा भतुड़िया अंचल रामगढ़ के बीच भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका के म्युटेशन वाद सं0 02/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 18.11.16 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा धोवा के जमाबन्दी नं0 10 के अन्तर्गत दाग सं0 23 कुल रकवा 01–04–17 धूर के अलावे अन्य दागों की जमींन आवेदक के पिता विपक्षी सं0 01 को टायटल पीटिशन सूट संख्या 14/28/1958–59 में प्राप्त हुआ है। उक्त सूट में प्राप्त जमींन को उनके नाम से नामान्तरण वाद सं0 05/2009–10 द्वारा नामान्तरण किया गया है एवं लगान का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है। आवेदक उक्त जमींन पर पेट्रोप पंप खोलना चाहते हैं। आवेदक को उक्त जमींन घरेलू बँटवारा के आधार पर प्राप्त हुआ है, जिसका निबंधन डीड संख्या 64/45, दिनांक 06.02.13 है। बँटवारा से प्राप्ति के पश्चात आवेदक उक्त जमींन का नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में नामान्तरण वाद सं0 611/2013–14 दायर किया गया। अंचल अधिकारी, रामगढ ने आवेदक द्वारा दायर वाद को यह कहकर अस्वीकृत किया गया कि अपर समाहर्त्ता, दुमका के पत्रांक 1483/दिनांक 23.12.2013 के आलोक में कंडिका 03 में सुस्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त है कि उत्तराधिकारी के आधार पर किये जाने वाला नामान्तरण के मामले में जमाबन्दी रैयत के मृत होने के बाद ही नामान्तरण किया जाता है परन्तु जिन मामले में किसी न्यायालय द्वारा डिग्री/न्यायालय द्वारा बँटवारा का आदेश प्राप्त हो तो जमाबन्दी रैयत के जीवनकाल में नामान्तरण हो सकता है। लेकिन नवगोपाल मंडल (आवेदक के पिता) द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय/राजस्व पदाधिकारी के अनुमति के बगैर अवैध ढंग से बिना युक्ति संगत बँटवारा कर दिगभ्रमित करने के लिये अपने डीड को नन जुडिसियल स्टाम्प पर अवर निबंधक के यहाँ निबंधित करा लिया है।

इस आदेश के विरूद्ध में आवेदक द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका के न्यायालय में म्युटेशन अपील वाद सं0